संख्या-599/2017/2141/22-2-2016-17(188)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 31 जुलाई, 2017***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी फूलचन्द्र पुत्र श्री विन्देश्वरी निवासी जनपद-फतेहपुर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34860/प्रोबेशन-3 (एम-06-09-2016) दिनांक-26-09-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी फूलचन्द्र पुत्र श्री विन्देश्वरी, निवासी-बड़ागांव, थाना-हुसैनगंज, जनपद-फतेहपुर का रहने वाला है। बन्दी ने 10 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 08/09.06.2001 की रात्रि में 700 भेंडो, 01 घोडी, 01 बछेडी तथा 05 बकरियों का लूटने के इरादे से 07 भेंड पालकों की आखों में पट्टी बांधकर तथा हाथ बांधकर कुंए के पास ले गये तथा कुछ को कुल्हाडी से घायल कर कुएं में फेंक दिया तथा कुछ के हाथ-पैर बांधकर कुंए में फेंक दिया जिसके कारण 07 भेंड पालकों की मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1109/2001 में भा0द0वि0 की धारा-364, 379, 302/149, 201 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, (कोर्ट सं0-04), फतेहपुर के आदेश दिनांक 18.12.2008 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 23.09.2015 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 20.03.2016 तक 14 वर्ष 09 माह 10 दिन की अपरिहार सजा तथा 17 वर्ष 02 माह 05 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी के 08 सहअभियुक्त मा0 सत्र/उच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किये गये, 01 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है तथा 01 सहअभियुक्त मा0 सत्र न्यायालय के निर्णय के पूर्व से फरार है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी ने 10 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लूट के इरादे से 07 भेंड पालकों की कुल्हाडी से मारकर एवं कुंए में फेंककर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। अत: बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर द्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी फूलचन्द्र पुत्र श्री विन्देश्वरी को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी फूलचन्द्र (बन्दी संख्या-65/2012) पुत्र श्री विन्देश्वरी निवासी जनपद-फतेहपुर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।
(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-599/2017/2141(1)/22-2-2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्या-599/2017/2141/22-2-2016-17(188)/2017

दिनांक 31 जुलाई, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी फूलचन्द्र पुत्र श्री विन्देश्वरी, निवासी-बडागांव, थाना-हुसैनगंज, जनपद-फतेहपुर का रहने वाला है। बन्दी ने 10 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 08/09.06.2001 की रात्रि में 700 भेंडो, 01 घोडी, 01 बछेडी तथा 05 बकरियों का लूटने के इरादे से 07 भेंड पालकों की आखों में पट्टी बांधकर तथा हाथ बांधकर कुंए के पास ले गये तथा कुछ को कुल्हाडी से घायल कर कुएं में फेंक दिया तथा कुछ के हाथ-पैर बांधकर कुंए में फेंक दिया जिसके कारण 07 भेंड पालकों की मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1109/2001 में भा0द0वि0 की धारा-364, 379, 302/149, 201 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, (कोर्ट सं0-04), फतेहपुर के आदेश दिनांक 18.12.2008 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 23.09.2015 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 20.03.2016 तक 14 वर्ष 09 माह 10 दिन की अपरिहार सजा तथा 17 वर्ष 02 माह 05 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी के 08 सहअभियुक्त मा0 सत्र/उच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किये गये, 01 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है तथा 01 सहअभियुक्त मा0 सत्र न्यायालय के निर्णय के पूर्व से फरार है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी ने 10 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लूट के इरादे से 07 भेंड पालकों की कुल्हाडी से मारकर एवं कुंए में फेंककर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। अतः बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी फूलचन्द्र पुत्र श्री विन्देश्वरी प्रसाद को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in